Uttarakhand Bamboo & Fiber
Development Board

उत्तराखण्ड बांस एवं रेशा विकास परिषद्

न्यू फॉरेस्ट कालोनी, इन्दिरानगर देहरादून, – 248006
दूरभाष एवं फैक्सः 0135-2761155,
E-mail: uabamboo@gmail.com
Website: www.ubfdb.org.in

पत्रांकः 117/1-A
दिनांकः 20/03/2021

सेवा में,

1. अपर सचिव, कार्मिक
उत्तराखण्ड शासन/पदेन सदस्य
कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड बांस एवं रेशा विकास परिषद्।
2. श्री एस0टी0एस0 लेप्चा (सेवानिवृत्त आई0एफ0एस0)
सलाहकार, उत्तराखण्ड बांस एवं रेशा विकास परिषद् देहरादून।
3. उपायुक्त/सहायक आयुक्त
ग्राम्य विकास उत्तराखण्ड /पदेन सदस्य कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड बांस एवं रेशा विकास परिषद्।
4. अपर निदेशक
कृषि विभाग उत्तराखण्ड/पदेन सदस्य,
कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड बांस एवं रेशा विकास परिषद्।
5. अपर निदेशक
उद्यान विभाग उत्तराखण्ड/पदेन सदस्य
कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड बांस एवं रेशा विकास परिषद्।
6. वित्त नियंत्रक
वन विभाग उत्तराखण्ड/पदेन सदस्य
कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड बांस एवं रेशा विकास परिषद्।
7. डा0 अपर्णा शर्मा प्रतिनिधि, यूकोस्ट उत्तराखण्ड/सदस्य
कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड बांस एवं रेशा विकास परिषद्।
8. डा0 निशा त्रिपाठी प्रतिनिधि, सेंटर फोर इन्डियन बैंबू रिसर्च एण्ड टेक्नौलॉजी (सिबार्ट)/ सदस्य कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड बांस एवं रेशा विकास परिषद्।

विषयः– उत्तराखण्ड बांस एवं रेशा विकास परिषद की कार्यकारी समिति की प्रथमं बैठक के कार्यवृत्त।

महोदय/महोदया,

उत्तराखण्ड बांस एवं रेशा विकास परिषद की कार्यकारी समिति की प्रथम बैठक प्रमुख वन संरक्षक (HoFF) उत्तराखण्ड एवं अध्यक्ष, कार्यकारी समिति उत्तराखण्ड बांस एवं रेशा विकास परिषद की अध्यक्षता में दिनांक 10 मार्च, 2021 को पूर्वाराह्न 11:00 बजे उनके सभागार वन भवन, 85, राजपुर रोड़ देहरादून स्थित सभागार में आहूत की गयी थी।

उक्त बैठक के कार्यवृत्त संलग्न कर आपके सूचनार्थ प्रेषित किये जा रहे हैं।

संलग्नकः यथोपरि।

भवदीय,
(मनोज चन्द्रन)
पदेन सचिव/मुख्य कार्यकारी अधिकारी

प्रतिलिपि – मुख्य वैयक्तिक सहायक, प्रमुख वन संरक्षक (HoFF) उत्तराखण्ड/अध्यक्ष कार्यकारी समिति उत्तराखण्ड बांस एवं रेशा विकास परिषद् को प्रमुख वन संरक्षक (HoFF) उत्तराखण्ड/अध्यक्ष कार्यकारी समिति उत्तराखण्ड बांस एवं रेशा विकास परिषद् महोदय के संज्ञान में लाने हेतु प्रेषित।

(मनोज चन्द्रन)
पदेन सचिव/मुख्य कार्यकारी अधिकारी

उत्तराखण्ड बांस एवं रेशा विकास परिषद्

की

कार्यकारी समिति की प्रथम बैठक का कार्यवृत्त

Uttarakhand Bamboo & Fiber
Development Board

उत्तराखण्ड बांस एवं रेशा विकास परिषद्
इंदिरानगर फारेस्ट कालोनी, पो०ओ०–न्यू फारेस्ट, देहरादून – 248 006
दूरभाषः 0135–2760897, फैक्सः 0135–2761155
ई–मेल–uabamboo@gmail.com

प्रमुख वन संरक्षक (HoFF) उत्तराखण्ड/अध्यक्ष, कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड बाँस एवं रेशा विकास परिषद् की अध्यक्षता में दिनांक 10 मार्च, 2021 को वन भवन, में आयोजित कार्यकारी समिति की बैठक के कार्यवृत्त।

उपस्थितिः संलग्न है।

सर्वप्रथम श्री राजीव भरतरी, प्रमुख वन संरक्षक (HoFF)/अध्यक्ष महोदय द्वारा सभी सम्मानित सदस्यों का स्वागत किया गया। अध्यक्ष की अनुमति से श्री मनोज चन्द्रन, पदेन सचिव/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड बांस एवं रेशा विकास परिषद् द्वारा बैठक की कार्यवाही को आगे बढ़ाते हुए श्री दिनेश जोशी, कार्यक्रम प्रन्बन्धक द्वारा परिषद् की प्रगति रिपोर्ट पर प्रस्तुतिकरण किया गया। परिषद् के मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा बैठक के एजेण्डा विन्दुओं को प्रस्तुत किया गया तथा विचार विमर्श के उपरान्त माननीय सदस्यों द्वारा निम्न प्रकार निर्णय लिये गये–

एजेण्डा बिन्दु सं0–1.1
उत्तराखण्ड बासं एवं रेशा विकास परिषद् की शासी निकाय की 18वीं बैंठक के एजेण्डा निर्णय एवं अनुपालन

मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा समिति को बताया गया कि अपर मुख्य सचिव एवं कृषि उत्पादन आयुक्त उत्तराखण्ड शासन/अध्यक्ष, उत्तराखण्ड बाँस एवं रेशा विकास परिषद् की अध्यक्षता में दिनांक 20.5.2020 को शासी निकाय की 18वीं बैंठक का आयोजन किया गया था। उक्त बैठक लिये गये निर्णयों का अनुपालन आख्या मुख्य कार्यकारी द्वारा विस्तार से रखा गया।

निर्णय– समस्त सदस्यों द्वारा अनुपालन आख्या का अनुमोदन करते हुए उक्त अनुपालन आख्या को परिषद् की शासी निकाय की आगामी (19वीं) बैंठक में अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।

एजेंडा– 1.2

वित्तीय वर्ष 2020–21 में किये गये कार्यो का प्रगति विवरण के सम्बन्ध में।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड बांस एवं रेशा विकास परिषद् द्वारा वित्तीय वर्ष 2020–21 में विभिन्न परियोजनाओं के अन्तर्गत किये गये गतिविधियों का भौतिक उपलब्धियां का समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

निर्णय– समिति के सदस्यों द्वारा निर्णय लिया गया कि परिषद् की वार्षिक आय व्ययक भी आगामी कार्यकारी समिति तथा शासी निकाय के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जाय।

कार्यवाही–मुख्य कार्यकारी अधिकारी।

एजेंडा– 1.3

उत्तराखण्ड बांस एवं रेशा विकास परिषद् की प्रस्तावित कर्मचारी सेवा नियमावली के सम्बन्ध में।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा समिति को बताया गया कि उत्तराखण्ड बांस एवं रेशा विकास की शासी निकाय की 18वीं बैंठक में परिषद् की सेवा नियमावली का आलेख प्रस्तुत किया गया था। शासी निकाय द्वारा उक्त सेवा नियमावली को अनुमोदित करते हुए उत्तराखण्ड शासन को स्वीकृतिक हेतु प्रेषित करने का निर्णय लिया गया। इसी क्रम में उक्त सेवा नियमावली को उत्तराखण्ड शासन को प्रस्तुत की गई तथा दिनांक 22 दिसम्बर, 2020 को अपर सचिव, वन एवं पर्यावरण उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में लिये गये निर्णय/सुझाव के अनुसार कर्मचारी सेवा नियमावली पुनः प्रस्तुत की जा रही है।

निर्णय– समिति के सदस्यों द्वारा कर्मचारी सेवा नियमाली–2020 पर चर्चा करते हुए निर्णय लिया गया कि उक्ता नियमावाली को शासी निकाय के सम्मुख अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जाय तथा शासन से वैट करा लिया जाय।

कार्यवाही–मुख्य कार्यकारी अधिकारी।

एजेंडा– 1.4

उत्तराखण्ड बांस एवं रेशा विकास परिषद् में कार्यरत कार्मिकों का विनियमितीकरण तथा विनियमितीकरण हेतु समिति का गठन।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा समिति को बताया गया कि शासी निकाय की 18वीं बैठक में यह निर्णय लिया गया कि प्रस्तावित कर्मचारी नियमावली को शासन को प्रेषित किया जाए तथा शासन द्वारा नियमावली को विधिवत् स्वीकृत किए जाने के पश्चात ही पदों पर नियमित नियुक्तियां की जाय। जहां तक लंबे समय से कार्यरत कार्मिकों का विनियमितीकरण का प्रश्न है, वर्तमान में राज्य में विनियमितीकरण की कार्यवाही स्थगित है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा यह भी बताया कि शासन के सुझावों के अनुरूप कर्मचारी नियमावली में सुधार कर दिया गया है तथा दैनिक वेतन, कार्यभारित, संविदा, नियत वेतन, अंशकालिक तथा तदर्थ रूप में नियुक्त कार्मिकों का विनियमितीकरण नियमावली 2013 पर वर्तमान में माननीय उच्चतम न्यायालय का स्थगन आदेश की समयावधि समाप्त हो चुकी है, मा0 उच्चतम न्यायालय में आयोजित Criminal Appeal स0 1375.1376/2013 में Miscellaneous Application 1577/2020 Asian Resurfacing of Road Agency Pvt. Ltd. and Anr. Vs Central Bureau of Invesitigation में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.10.2020 के अनुसार किसी भी मा0 न्यायालय द्वारा पारित स्थगन आदेश केवल 6 माह तक वैध होगी यदि उक्त स्थगन आदेश को एक मुखर आदेश द्वारा विस्तारित नहीं किया गया हो। उक्त आदेश के दृष्टिगत विनियमितीकरण हेतु चयन समिति निम्न प्रकार गठित किया जाना प्रस्तावित है–

क्रम सं0	समिति के सदस्यों का नाम/पद नाम	समिति में पद/वर्ग
1.	श्री मनोज चन्द्रन, मुख्य वन संरक्षक (मानव संसाधन)/मुख्य कार्यकारी अधिकारी उत्तराखण्ड बांस एवं रेशा विकास परिषद्।	अध्यक्ष (सामान्य)
2.	श्री कोको रोसे, उप वन संरक्षक, वन प्रभाग टिहरी।	सदस्य (अनुसूचित जनजाति)
3.	श्री सुभाष वर्मा, उप प्रभागीय वनाधिकारी, मसूरी वन प्रभाग।	सदस्य (अन्य पिछड़ा वर्ग)

निर्णय– समिति के सदस्यों द्वारा विचार विमर्श करने के पश्चात यह निर्णय लिया कि उक्त प्रस्ताव को शासी निकाय के समक्ष प्रस्तुत किया जाय तथा शासी निकाय के निर्देशों के अनुरूप ही अग्रिम कार्यवाही की जाय।

कार्यवाही–मुख्य कार्यकारी अधिकारी।

एजेंडा– 1.5

परिषद् में कार्यरत कार्मिकों को ई0पी0एफ0 का लाभ देने के सम्बन्ध में।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा समिति को जानकारी दी गई कि दिनांक 20.5.2020 को उत्तराखण्ड बांस एवं रेशा विकास परिषद् की शासी निकाय की 18वीं बैंठक के ऐजेण्डा बिन्दु 18.2 में लिये गये निर्णय के अनुपालन में परिषद् में कार्यरत सभी कार्मिकों का ई0पी0एफ0 में पंजीकरण किया जा चुका है। ई0पी0एफ0 तथा ई0एस0आई की पिछली देयकों का आंकलन हेतु परिषद् के कार्यालय ज्ञाप सं0 324/ई0पी0एफ0 दिनांक 27 जुलाई, 2020 के माध्यम से 03 सदस्यीय समिति का गठन किया गया। समिति की अनुशंसा पर वर्तमान में कार्यरत 25 कार्मिकों को सितम्बर, 2006 या उनकी नियुक्ति के समय से जो भी बाद में हो, से ई0पी0एफ0 की पिछली देयकों का भुगतान किया जा चुका, लेकिन 03 कार्मिक श्री दिनेश जोशी, श्री प्रदीप सती तथा श्री विक्रम सिंह को ई0पी0एफ0 का लाभ उनकी नियुक्ति के समय से इसलिए नहीं मिल पाया, चुंकि उनका पारिश्रमिक उनकी नियुक्ति के समय ई0पी0एफ0ओ0 द्वारा अधिकतम निर्धारित सीमा रू0 6500 थी। परिषद् की शासी निकाय की 21 दिसम्बर, 2012 के मद सं0 14.05 पैरा में यह निर्णय लिया गया कि रू0 6500 को मूल एवं अधिकतम वेतन मानते हुए परिषद् में कार्यरत सभी कार्मिकों को ई0पी0एफ0 का लाभ आवश्यक रूप से दिया जाय।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा यह भी बताया गया कि शासी निकाय द्वारा लिये गये निर्णय के अनुपालन में उक्त 03 कार्मिकों का भी ई0पी0एफ0ओ0 में पंजीकृत कर दिया गया है, लेकिन इन कार्मिकों को इनकी नियुक्ति वर्ष से ई0पी0एफ0 का लाभ नहीं मिल पाया। इसलिए यह प्रस्तावित है कि उक्त तीनों कार्मिकों को भी इनकी नियुक्ति वर्ष से ई0पी0एफ0 का लाभ दिया जाय।

निर्णय– उक्त प्रस्ताव पर विचार विमर्श के उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि शासी निकाय के 14वीं बैंठक में लिये गये निर्णय के अनुसार दिसम्बर, 2012 से सभी कार्मिकों को स्वेच्छापूर्वक ई0पी0एफ0 का लाभ दिया जाय, जिन कार्मिकों को उनकी नियुक्ति वर्ष से ई0पी0एफ0 का लाभ प्राप्त नहीं हुआ है, इसका प्रस्ताव अलग से शासी निकाय के समक्ष प्रस्तुत किया जाय, तद्नुसार अग्रिम कार्यवाही की जाय।

कार्यवाही–मुख्य कार्यकारी अधिकारी।

एजेंडा– 1.6

रसायन विज्ञान एवं बायोप्रोस्पेक्टिंग डिविजन, एफ0आर0आई0 देहरादून से पिरूल से रेशा निकालने की तकनीकि का लाइसेंस प्राप्त करने के सम्बन्ध में।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने समिति को बताया कि रसायन विज्ञान एवं बायोप्रोस्पेक्टिंग डिविजन, एफ0आर0आई0 देहरादून द्वारा चीड़ के पत्तों (पिरूल) से रेशा तैयार करने की पद्धति विकसित की गई है। इस पद्धति का उनके द्वारा पैंटेन्ट किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में एफ0आर0आई के निदेशक से भी इस विषय पर वार्ता हुई है, उनके अनुसार पिरूल से रेशा निकालने की तकनीकि में बिजली/इँधन का उपयोग नहीं हो रहा है, यदि परिषद् एफ0आर0आई0 से उक्त तकनीकि का लाईसेंस प्राप्त करता है तो ग्रामीण समुदाय को रोजगार प्राप्त होगा साथ ही पिरूल से लगने वाली वनाग्नि से जंगलों को भी बचाया जा सकता है। श्री मनोज चन्द्रन द्वारा समिति को यह भी जानकारी दी गई कि उक्त के लाईसेंस प्राप्त करने हेतु एफ0आर0आई0 से एक अनुबन्ध किया जाना है जिसके अनुसार परिषद् द्वारा एफ0आर0आई0 देहरादून को रू0 10.00 लाख दिया जाना प्रस्तावित है।

निर्णय– कार्यकारी समिति द्वारा चर्चा उपरान्त उक्त प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया व शासी निकाय को भी अवगत कराने का निर्देश दिया। वर्तमान में वनाग्नि काल के दृष्टिगत तत्काल अग्रेतर कार्यवाही के निर्देश दिये गये।

कार्यवाही–मुख्य कार्यकारी अधिकारी।

एजेंडा–1.7

परिषद् की शासी निकाय के सदस्यों का प्रतिस्थापन के सम्बन्ध में।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा समिति को बताया गया कि कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में उत्तराखण्ड बांस एवं रेशा विकास परिषद् की 11 सदस्यीय शासी निकाय का गठन किया गया है, जिसमें 07 पदेन सदस्य हैं जबकि 04 सदस्य गैर सरकारी संस्थाओं से हैं। गैर सरकारी संस्थाओं के 02 सदस्य श्री अरूण पांधी, चीफ प्रोग्राम मैनेजर, सर रतन टाटा ट्रस्ट मुम्बई, तथा डा0 राजेश थडानी, सलाहकार सर रतन टाटा ट्रस्ट मुम्बई द्वारा शासी निकाय की सदस्यता से स्वेच्छा से त्यागपत्र दे दिया गया है, जिनका त्यागपत्र शासी निकाय के अध्यक्ष द्वारा स्वीकृत किया जा चुका है। इसी क्रम में गैर सरकारी संस्थाओं के 02 अन्य सदस्य श्री राजीव ओबरॉय, मुख्य कार्यकारी, एस0पी0डी0 देहरादून तथा डा0 अनिल प्रकाश जोशी, मुख्य कार्यकारी, हैस्को देहरादून काफी लम्बे समय से परिषद् की शासी निकाय के सदस्य हैं, इन सभी 04 गैर सरकारी सदस्यों के स्थान पर नये सदस्य नामित किया जाना प्रस्तावित है, जिनकी सूची निम्न प्रकार है–

1. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उत्तराखण्ड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड– सदस्य।
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास परिषद्– सदस्य।

3. अध्यक्ष, उत्तराखण्ड को–आपरेटिव रेशम फेडरेशन लि0–सदस्य।

4. अध्यक्ष, इन्टस्ट्रीज एसोसिएशन उत्तराखण्ड–सदस्य।

निर्णय– उक्त प्रस्ताव पर विचार विमर्श करने के उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि शासी निकाय में अध्यक्ष, उत्तराखण्ड को–आपरेटिव रेशम फेडरेशन लि0 के स्थान पर श्री एस0टी0एस0 लेप्चा, (सेवानिवृत्त–आई0एफ0एस0) को बांस विशेषज्ञ के रूप में सदस्य नामित किया जाय तथा शासी निकाय के समक्ष प्रस्ताव तद्नुसार प्रेषित करें। नये सदस्य सम्मिलित करने से सम्बन्धित कोई और सुझाव हैं तो एक सप्ताह के अन्दर प्रस्तुत करें।

कार्यवाही–मुख्य कार्यकारी अधिकारी।

एजेंडा– 1.8

परिषद् के वित्तीय वर्ष 2019–20 का अंकेक्षण आर्थिक चिट्ठे का अनुमोदन।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, द्वारा समिति को बताया गया कि उत्तराखण्ड बांस एवं रेशा विकास परिषद् के वित्तीय वर्ष 2019–20 के अंकेक्षण के उपरान्त परिषद् की संचालन समिति के समक्ष अवलोकन एवं अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है। विगत वर्ष का अवशेष रू0 3,44,50,215.00 था तथा वित्तीय वर्ष 2019–20 में विभिन्न परियोजनाओं के अन्तर्गत रू0 7,08,27,865.00 की राशि प्राप्ति हुई, इस प्रकार रू0 105278080.00 की राशि व्यय हेतु उपलब्ध थी। उपलब्ध धनराशि के विरूद्ध वर्ष 2019–20 में कुल 7,43,81,820.00 का व्यय हुआ। 31 मार्च 2020 में वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर व्याज सहित कुल धनराशि रू0 3,08,96,260.00 परिषद् के पास अवशेष थी। वर्ष 2019–20 में आयकर रिटर्न भी यथासमय भरी गई है।

निर्णय– अनुमोदन तथा शासी निकाय की 19वीं बैंठक में एजेण्डा प्रस्तुत किया जाय।

कार्यवाही–मुख्य कार्यकारी अधिकारी।

एजेंडा– 1.9

परिषद् की शासी निकाय की 19वीं बैठक में प्रस्तावित एजेंडा बिन्दुओं के सम्बन्ध में।

परिषद् की शासी निकाय की 19वीं बैठक हेतु निम्नलिखित एजेंडा बिन्दु प्रस्तुत किये जाने प्रस्तावित हैं–

1. उत्तराखण्ड बासं एवं रेशा विकास परिषद् की शासी निकाय की 18वीं बैठक के एजेण्डा निर्णय एवं अनुपालन आख्या का अनुमोदन।
2. परिषद् की कार्यकारी समिति द्वारा लिये गये निम्न लिखित निर्णयों का अनुमोदन–
   क) परिषद् की संशोधित कर्मचारी सेवा नियमावली– 2020।
   ख) परिषद् में कार्यरत कार्मिकों का विनियमितीकरण तथा विनियमितीकरण चयन समिति।
   ग) परिषद् में कार्यरत कार्मिकों को ई0पी0एफ0 का लाभ देने के सम्बन्ध में।
   घ) रसायन विज्ञान एवं बायोप्रोस्पेक्टिंग डिविजन, एफ0आर0आई0 देहरादून से पिरूल रेशा निकालने की तकनीकि का लाइसेंस प्राप्त करने के सम्बन्ध में।
3. परिषद् की शासी निकाय के सदस्यों का प्रतिस्थापन का अनुमोदन।
4. परिषद् के वित्तीय वर्ष 2019–20 का अंकेक्षण आर्थिक चिट्ठे का अनुमोदन।

निर्णय– अनुमोदित।

कार्यवाही–मुख्य कार्यकारी अधिकारी।

एजेंडा– 1.10

अन्य बिन्दु अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से।

1.10.1 प्रमुख वन संरक्षक (HoFF) उत्तराखण्ड/अध्यक्ष, कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड बाँस एवं रेशा विकास परिषद् द्वारा निर्देशित किया गया कि बांस कल्चरल ऑपरेशन करने वाले व्यक्तियों/ठेकेदारों का कौशल प्रमाणित किया जाना आवश्यक है।

1.10.2 श्री एस0टी0एस0 लेप्चा, प्रतिनिधि– सिबार्ट द्वारा समिति के समक्ष यह विषय रखा कि बांस एवं रेशा एन0टी0एफ0पी0 का ही एक अंग है, वन विभाग के अन्तर्गत मुख्य वन संरक्षक, एन0टी0एफ0पी0 तथा परिषद् के बीच समन्वयन स्थापित किया जाना आवश्यक है, जिससे कि बांस एवं रेशा की गति को और अधिक बल प्रदान किया जा सके। इस विषय पर समिति के सदस्यों द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय

लिया गया कि मुख्य वन संरक्षक, एन0टी0एफ0पी0 उत्तराखण्ड, उत्तराखण्ड बांस एवं रेशा विकास परिषद् के पदेन मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनया जाय, जिसका प्रस्ताव शासी निकाय में रखा जाय तथा उत्तराखण्ड शासन से इसका विधिवत आदेश जारी किया जाय।

1.10.3 प्रमुख वन संरक्षक (HoFF) उत्तराखण्ड/अध्यक्ष, कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड बाँस एवं रेशा विकास परिषद् द्वारा निर्देशित किया गया कि वन भवन के परिसर में बांस प्रजाति का रोपण कर सौन्दर्यीकरण का कार्य किया जाय तथा राजपुर रोड़ से लगे हुए स्थान को किसानों/हस्तशिल्पियों/बुनकरों द्वारा तैयार किये जा रहे उत्पादों की विक्रय हेतु विकसित किया जाय, जिसके लिए अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन तथा उप वन संरक्षक देहरादून से वार्ता कर प्रस्ताव तैयार किया जाय।

1.10.4 वन मुख्यालय में प्रस्तावित केबिन निर्माण तथा पार्टीशन के कार्य के प्रस्तावों पर आवश्यक अग्रेतर कार्यवाही की जाय।

1.10.5 ऑनलाईन बैठक में प्रतिभाग कर रही, सिबार्ट की प्रतिनिधि डा0 निशा त्रिपाठी द्वारा बताया गया कि हिमालन नेटल से रेशे के अलावा विभिन्न उत्पाद जैसे नेटल टी, नेटल ऑयल इत्यादि तैयार किया जा सकता है, जिसके लिए परिषद् को एक रिसर्च सेन्टर स्थापित करना चाहिए।

1.10.6 यूकॉस्ट की प्रतिनिधि डा0 अपर्णा शर्मा द्वारा सुझाव दिया गया कि बांस एवं रेशे के तैयार उत्पादों को विक्रय हेतु ऑन लाईन एवं ऑफ लाईन बाजार व्यवस्था को और सुदृढ़ किया जाना चाहिए।

1.10.7 प्रमुख वन संरक्षक (HoFF) उत्तराखण्ड/अध्यक्ष, कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड बाँस एवं रेशा विकास परिषद् द्वारा निर्देशित दिये गये कि परिषद् का लंबी अवधि की रणनीतिक योजना (Long term strategic planning) तैयार की जाय, जिसके लिए आवश्यक कार्यवाही की जाय।

कार्यवाही–मुख्य कार्यकारी अधिकारी।

अन्त में अध्यक्ष महोदय द्वारा सभी उपस्थित सदस्यों का बैठक में प्रतिभाग करने हेतु आभार व्यक्त करते हुए बैठक समाप्त की गई।

19.3.21

(मनोज चन्द्रन)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

दिनांक 10 मार्च 2021 को उत्तराखण्ड बांस एवं रेशा विकास परिषद् की संचालन समिति की प्रथम बैठक में उपस्थित सदस्यगण/अधिकारी

बैठक की अध्यक्षता: प्रमुख वन संरक्षक/अध्यक्ष संचालन समिति उत्तराखण्ड बांस एवं रेशा विकास परिषद्।

बैठक का स्थानः– वन भवन सभागार कक्ष, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

क्रम स0	अधिकारी/सदस्य का नाम	पद नाम तथा विभाग/संस्था	हस्ताक्षर
1	RAJIV BHARTARI	PCCF (HOFF) Uttarakhand	[signature]
2	S. T. S. Lepcha	Advisor BABF&D/ CIBART Rep.	[signature]
3	J. C. Joshi	F. C. Forest	[signature]
4	Rupesh Kr. Maurya	Asst. Dir. Agriculture	[signature]
5	Dr. J. C. Kairn	Addl. Director Deptt of Horticulture	[signature]
6	Dr D. K. Singh	Dy. Director Agriculture	[signature]
7	[illegible]	CEO	[signature]
8	A. K. RAJPUT	Dy. Comm (Rural Development)	[signature]
10	Dinesh Joshi	Prog. Mgr. UBFDB	[signature]
11	Dr Aparna Sharma	Scientist UCOST	Attended (online)
12	Dr Nistha Tripathi	Program officer CIBART	—11—
13	Mukesh Singh	UBFDB (Head Asstt.)	[signature]